बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 ......5896...... पटना/दिनांक ......29.07.15......

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या–**2559(अ)** दिनांक **30 सितम्बर, 2014** निर्गत **एवं 654(अ) दिनांक–30 मार्च 2011** से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम–10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश–2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् **दाल को 30 सितम्बर, 2015 तक** की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक **8970** दिनांक **04.11.2011** द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक **30 सितम्बर, 2015** तक के लिए विस्तारित किया जाता है ।

4. **दाल** के थोक एवं खुदरा व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे ।

4. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

5. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

(प्र04/आ0–01/2015)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
29/7/15
(एल0 पी0 सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01/2015 . 5896 दिनांक– 29.07.15

प्रतिलिपिः– ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ अंग्रेजी अनुवाद Ms Word में सॉफ्ट एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 200 प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0– सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी।

29/7/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2009\GSR.doc

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01/2015 - 5896 दिनांक– 29.07.15

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त एवं सचिव,/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी–6, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्य लोक, पटना/श्री श्रीकांत लाभ, महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स असोसियेशन, भिखना पहाड़ी, पटना–4/डा0 लखी चन्द यादव, महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदइार संघ, गायघाट, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01/2015 - 5896 दिनांक– 29.07.15

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार,पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना /प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार,पटना/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

29/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01/2015 - 5896 दिनांक– 29.07.15

प्रतिलिपिः– सूचना पट्ट, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

29/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2009\GSR.doc

Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department

Notification

G.S.R. __________________ Patna, Dated __________

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution published under order **No. 2559(E)** Dated **30th September, 2014** and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, The Governor of Bihar herewith is pleased to make the following substitution in the words and number of clause-2 of the notification issued earliar vide lette no. Pra/04-aa-01/09-Part-II-8970 dated 04.11.2011 till 30 Sepetmber, 2012 by word and number till 30th September, 2015, and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, **Pulses** for a further period **up to 30th September, 2015**, from the date of commencement of this order.

2. The validity of the departmental notification issued vide memo no. **8970** dated **04.11.2011** is extended upto **30th September, 2015**.
3. The provisions of Bihar Trade Articles (Licensing Unification) order 1984 shall remain applicable in respect of wholesale and Retail dealer of **Pulses**.
4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.
5. This notification shall come into force from the date of its issuance.

(Pra/04-aa-01/15)
By order of the Governor of Bihar

(L. P. Singh)
Joint Secretary to the Govt.

D:\2009\GSR.doc